भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2324
(06 अगस्त, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए)

नई सड़कों का निर्माण

2324. श्री मुकेश कुमार चंद्रकांत दलाल:
श्री धर्मबीर सिंह:
श्री सुकान्त कुमार पाणिग्रही:
श्री कृपानाथ मल्लाह:
श्री प्रदीप पुरोहित:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों सहित नई सड़कों के निर्माण को स्वीकृति दी है; और

(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से ओडिशा और हरियाणा के भिवानी-महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में इन स्वीकृत सड़क परियोजनाओं की लंबाई, बजट आवंटन और पूरा होने की समय-सीमा सहित, राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख)**:** वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 01.08.2024 तक, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत 1,624.53 करोड़ रुपए की लागत के 1,823.59 किलोमीटर सड़क और 52 पुलों के कुल 317 सड़क कार्यों को स्वीकृति दी गई है, जिसमें वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्कता परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) शामिल हैं। स्वीकृत सड़कों और परियोजनाओं के मूल्य का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

पीएमजीएसवाई-III और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने की समय सीमा मार्च, 2025 है तथा पीएम-जनमन के लिए 31 मार्च, 2028 है। आरसीपीएलडब्ल्यूईए और पीएम-जनमन सहित पीएमजीएसवाई के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु बजट अनुमान 19,000 करोड़ रुपए हैं।

मंत्रालय में संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़ें नहीं रखे जाते हैं। ओडिशा राज्य और हरियाणा के भिवानी-महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में स्वीकृत सड़कों का राज्य-वार, जिला-वार और वर्ष-वार ब्यौरा **http://omms.nic.in > proposals> statewise list of roads** पर देखा जा सकता है।

इसके अलावा, 2024-25 के बजट भाषण के अनुसार, 25,000 ग्रामीण बसावटें, जो अपनी जनसंख्या में वृद्धि के कारण पात्र हो गई हैं, उन्हें बारहमासी संड़क संपर्कता प्रदान करने के लिए पीएमजीएसवाई का चौथा चरण शुरू किया जाएगा।

*****

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 06.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 2324 के उत्तर के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

आरसीपीएलडब्ल्यूईए और पीएम-जनमन सहित पीएमजीएसवाई के तहत वर्ष 2024-25 के दौरान (दिनांक 01.08.2024 तक) स्वीकृत परियोजनाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा और परियोजनाओं का मूल्य

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत			परियोजनाओं का मूल्य (रु. करोड़ में)
		सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	पुलों की संख्या	
1	अण्डमान और निकोबार	0	0.00	0	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0	0.00	0	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	79	645.52	36	664.62
4	असम	78	563.67	14	378.68
5	बिहार	0	0.00	0	0.00
6	छत्तीसगढ	2	64.75	0	63.61
7	गोवा	0	0.00	0	0.00
8	गुजरात	0	0.00	0	0.00
9	हरियाणा	0	0.00	0	0.00
10	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0	0.00
11	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	0	0.00
12	झारखंड	0	0.00	0	0.00
13	कर्नाटक	18	23.77	2	25.17
14	केरल	33	159.86	0	160.56
15	मध्य प्रदेश	40	180.29	0	150.72
16	महाराष्ट्र	0	0.00	0	0.00
17	मणिपुर	0	0.00	0	0.00
18	मेघालय	0	0.00	0	0.00

19	मिजोरम	0	0.00	0	0.00
20	नागालैंड	0	0.00	0	0.00
21	ओडिशा	0	0.00	0	0.00
22	पुदुचेरी	0	0.00	0	0.00
23	पंजाब	0	0.00	0	0.00
24	राजस्थान	0	0.00	0	0.00
25	सिक्किम	0	0.00	0	0.00
26	तमिलनाडु	0	0.00	0	0.00
27	त्रिपुरा	42	118.76	0	114.32
28	उत्तर प्रदेश	0	0.00	0	0.00
29	उत्तराखंड	0	0.00	0	0.00
30	पश्चिम बंगाल	0	0.00	0	0.00
31	तेलंगाना	25	66.98	0	66.85
32	लद्दाख	0	0.00	0	0.00
	कुल	**317**	**1,823.59**	**52**	**1,624.53**